संख्या-65/2018/2715/22-2-2017-17(672)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती शिव प्यारी पत्नी श्री मैकूलाल पासवान निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती शिव प्यारी पत्नी श्री मैकूलाल पासवान, जो गूँझी, थाना-कल्यानपुर, जनपद-फतेहपुर की रहने वाली है। दहेज में एक भैंस व मोटरसाईकिल की मांग पूरी न होने के कारण महिला बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06.11.2012 को सुबह लगभग 07:00 बजे अपनी पुत्र बधू सुमन देवी को मारा पीटा व मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-301/2013 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनूसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, फतेहपुर के आदेश दिनांक 19.01.2015 द्वारा 07 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 21.03.2016 तक 02 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा किये गये विरोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती शिव प्यारी पत्नी श्री मैकूलाल पासवान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी श्रीमती शिव प्यारी (बन्दी संख्या-07/2015) पत्नी श्री मैकूलाल पासवान के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त महिला बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-65/2018/2715(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-65/2018/2715/22-2-2017-17(672)/2017

दिनांक 17 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती शिव प्यारी पत्नी श्री मैकूलाल पासवान, जो गूँझी, थाना-कल्यानपुर, जनपद-फतेहपुर की रहने वाली है। दहेज में एक भैंस व मोटरसाईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06.11.2012 को सुबह लगभग 07:00 बजे अपनी पुत्र बधू सुमन देवी को मारा पीटा व मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-301/2013 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनूसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, फतेहपुर के आदेश दिनांक 19.01.2015 द्वारा 07 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 21.03.2016 तक 02 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती शिव प्यारी पत्नी श्री मैकूलाल पासवान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in